उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ0प्र0 के कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 11.05.2016 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थान : मुख्य सचिव सभागार, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, (सचिवालय एनेक्सी), लखनऊ।

समय : अपरान्ह 11.45 से 12.30 तक

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड के सदस्य तथा विशेष आमंत्री अधिकारी उपस्थित रहेः–

क्रं0सं0	नाम	पद नाम	बोर्ड में निर्धारित पद
1	श्री प्रवीर कुमार	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
2.	श्री अरूण कुमार सिन्हा	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	श्रीमती रेणुका कुमार	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं समन्वय विभाग, उ0प्र0 शासन	विशेष आमन्त्री
4.	सुश्री हेकाली जिमोमी	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	श्री आन्जनेय कुमार सिंह	विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उ0प्र0 शासन	विशेष आमन्त्री
6.	श्री सुशील कुमार मौर्या	विशेष सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7.	श्री सी0एल0 मणिकान्त	अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8.	श्री राम निरंजन	संयुक्त सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9.	श्री राम रेखा पाण्डेय	संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	विशेष आमंत्री
10.	श्री पी0एस0 ओझा	राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ0प्र0	सदस्य सचिव

2. अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा अब तक की कार्यवाही/प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया :–

2.1 प्रदेश में कृषि, बागवानी, पशु चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि का उपयोग करते हुए बायोडीजल उत्पादन कार्यक्रम की शुरूआत उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–456/35–1–2006 दिनांक 21.02.2006 द्वारा नियोजन विभाग के अन्तर्गत गठित

''जेट्रोफा मिशन सेल'' द्वारा किया गया था। शीघ्र ही कार्यक्रम की सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित उपयोगिता एवं महत्व को देखते हुए इसे शासनादेश संख्या–705/35–1–2007 दिनॉक 14.05.2007 द्वारा विस्तार करते हुये ''बायो इनर्जी मिशन सेल'' के रूप में स्थापित किया गया। सेल द्वारा बायोडीजल उत्पादन कार्यक्रम हेतु करंजा तथा जट्रोफा रोपण का कार्य पी–4 (पब्लिक–प्राइवेट– पंचायत–पार्टनरशिप) मॉडल में उक्त प्रकार की भूमि में प्रारम्भ किया गया जिसके लिये वित्तीय संसाधन ''जीवन ज्योति परियोजना''' के माध्यम से मनरेगा कन्वर्जेन्स से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उक्त वृक्षारोपण के गेस्टेशन पीरियड के दौरान किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु औषधीय एवं सघन पौधों की कृषि का कार्य भी प्रारम्भ किया गया जिसके संसाधन मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत ही पी–4 मॉडल में ''जीवन शक्ति परियोजना'' के माध्यम से प्राप्त होता हैं। उक्त कार्यक्रम हेतु बायो इनर्जी मिशन सेल को लाइन विभाग ,(नोडल विभाग) की जिम्मेदारी भी प्रदान की गयीं इसके अतिरिक्त सेल द्वारा कृषि अपशिष्टों पर आधारित बायोगैस उत्पादन के बी0इ0एम0–यूनिसेफ मॉडल की प्रथम प्रयोगिक इकाई बलिया में वर्ष 2007 में स्थापित की गई जिसमें पाइन द्वारा घर–घर खाना पकाने की गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी की विस्तार इकाई लखनऊ जनपद के ग्राम पंचायत में वर्ष 2008 में स्थापित की गई, जहॉ बायोगैस को छोटे व्यावसायिक सिलेण्डर में भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। उक्त दोनों इकाईयॉ यूनिसेफ के सहयोग से उनके ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की गई थी। यूनिसेफ की पहल पर इस माडल को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार मिला तथा अन्य राज्यों ने भी इसकी तकनीकी सेल से प्राप्त की तथा उस पर कार्यवाही की।

2.2 लखनऊ स्थित केन्द्र पर पंचायती राज विभाग, यूनिसेफ तथा सेल के संयुक्त तत्वाधान में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन ''शोध एव विकास केन्द्र'' लखनऊ में प्रारम्भ किया गया। बायो इनर्जी परियोजनाओं/योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जनसहभागिता बढ़ाने तथा इसे प्रत्यक्ष स्वरोजगार/उद्यमिता से जोड़ने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जनपदो के 275 युवाओं को तीन दिवशीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमे से कुछ युवाओं ने प्रदेश विभिन्न जनपदों में उक्त योजनाओं के माध्यम से स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्राप्त किये तथा उनके प्रयास से मनरेगा कनवर्जेन्स के माध्यम से स्वयं के खेत पर औषधीय एवं सगंध पौधों/बायो मास उत्पादन के माध्यम से सम्बन्धित किसानों को स्थायी आय सृजन का साधन भी उपलब्ध कराया गया।

2.3 कृषि अपशिष्टों पर आधारित बायो गैस परियोजनाओं/योजनाओं के ''बायो इनर्जी मिशन माडल'' इकाई का ''कचरा लाओ–बायो गैस ले जाओं'' आधार पर यूनिसेफ द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। यूनिसेफ द्वारा इस विषय पर वर्ष 2011 में एक पुस्तिका प्रकाशित की गयी तथा एक डाकूमेण्ट्री फिल्म भी तैयार की गयी।

2.4 राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयास को प्रसारित करने के उद्देश्य से एन0आई0सी0 के सहयोग से http://jetropha.up.nic.in नाम से वेब साइट विकसित की गयी तथा वर्ष 2006–07 में इसे लॉच किया गया।

2.5 कुछ जनपदों में जिलाधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा "जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति" के माध्यम से बायो इनर्जी परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन में की गयी प्रगति तथा सम्बन्धित लाभार्थी किसानों को होने वाले आर्थिक लाभ के मद्देनजर सेल की पहल पर नियुक्ति विभाग के शासनादेश सं0 1541/दो–8–2015–33जी0(37)2015 दिनांकः 19 अगस्त 2015 द्वारा 2014 बैच के नवागत आइ0ए0एस0 अधिकारियों को उ0प्र0 राज्य प्रशासनिक अकादमी लखनऊ में बायो इनर्जी परियोजनाओं की जानकारी/प्रशिक्षण दिया गया।

2.6 "WASTE IS NO MORE WASTE, IT IS A RESOURCE FOR THE COMMUNITY, THE NATION & THE ENVIRONMENT CONCEPT" पर आधारित कृषि, औद्यानिक तथा पशुपालन अपशिष्टों का उपयोग करते हुए बायो गैस परियोजना की देश की प्रथम माडल इकाई यूनिसेफ के सहयोग से 2007–08 में स्थापित की गयी। बाद में इसकी उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 2014–15 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन "PATHWAY TO SUCCESS-COMPENDIUM OF BEST PRACTICES IN RURAL SANITATION IN INDIA" में प्रकाशित करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के संचालन से जुड़े राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि इसकी अन्य प्रतियॉ छपवाकर कार्यक्रम से जुड़े क्षेत्रीय अधिकारियों को माडल डाक्यूमेन्ट के तौर पर वितरित करे। (सम्बन्धित प्रकाशन मंत्रालय की वेबसाइट www.ddws.nic.in पर उपलब्ध है।)

2.7 प्रदेश में लगभग 11558 एकड़ रकबे पर पूर्व में ग्राम पंचायतों द्वारा जेट्रोफा का रोपण किया गया था। विकेन्द्रीकृत स्तर पर स्वचालित बीज संग्रहण प्रक्रिया के अन्तर्गत क्षेत्रीय व्यापारी उक्त जेट्रोफा बीज के अतिरिक्त परम्परागत रूप से लगाये गये नीम, महुआ, तथा करंज बीजों का संग्रहण कर इसे कारपोरेट सेक्टर/प्राइवेट कम्पनियों को बेच देते है। इस आधार पर मुजफ्फरनगर में एक बायोडीजल संयत्र भी प्राइवेट सेक्टर में स्थापित हो गया है।

2.8 वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा जारी "NATIONAL POLICY ON BIO-FUEL" के बिन्दु सं0 9 पर राज्यों से की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रदेश सरकार ने शासनादेश सं0 1569/35–1–2014–2(1)/86/2014 दिनांक 14.11.2014 द्वारा एक व्यापक "राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014" जारी किया जिसके अन्तर्गत निम्नांकित 04 योजनायें/कार्यक्रम हैं:–

1– मिशन बायोडीजल
2– मिशन बायोगैस
3– मिशन बायो एथेनॉल
4– मिशन प्रोडयूसर गैस

2.9 उक्त चारों कार्यक्रमों के अतिरिक्त औषधि एवं पुष्पों/कन्दों/फलों आदि के कृषिकरण का कार्यक्रम पूर्व से ही प्रचलित है।

उक्त नीति के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि इस कार्य हेतु स्वतंत्र एजेन्सी का गठन भी कर लिया जाय। इस नीति में राज्य द्वारा की गयी पहल को

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपयुक्त पाया गया तथा प्रस्तावित "NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACT" की तैयारी हेतु गठित सलाहकार समिति में राज्य समन्वयक को भी सम्मिलित किया गया।

2.10 उक्तानुसार समस्त कार्यक्रम/राज्य जैव ऊर्जा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्नलिखित शासनादेश निर्गत किये गये, जिन पर प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है;

1. ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासनः शासनादेश सं0 1085/अड़तीस–7– 2015–156 मनरेगा/2012, दिनांक 05.06.2015
2. पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासनः शासनादेश सं0:1621/33–3–2015– 154/2014 टी0सी0, दिनांकः 9.06.2015
3. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासनः शासनादेश सं0 1449/59–1–2015– 93 (खा)/2014, दिनांकः 14.05.2015
4. संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासनः शासनादेश सं0– क0नि0–2–1834/ग्यारह–9(205)/2014–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(146)–2015 दिनांक 08.12.2015 तथा शासनादेश सं0–क0नि0–2–230/ग्यारह–9(205)/2014–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(153)–2016 दिनांकः मार्च 11, 2016

बायोगैस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों को पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में क्रमशः रू0 40,000 तथा रू0 60,000 का अंशदान इकाई के निर्माण के पश्चात एवं उद्यमियों को योग्यता के अनुसार कुल लागत का क्रमशः 25% अथवा 35% अंशदान क्रेडिट लिंक बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना से प्रदान किया जाता है। इसमे अतिरिक्त इस कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुए इसे राज्य पुरोनिधानित योजना के रूप में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.11 मिशन प्रोड्यूसर गैस के अन्तर्गत प्रोड्यूसर गैस तकनीकी पर आधारित ऑफ ग्रिड विद्युत उत्पादन सयंत्र प्रदेश के विभिन्न राइस मिलों में स्थापित कराने हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। फलस्वरूप अधिकांश इकाईयॉ विद्युत ऊर्जा हेतु पूर्णतः आत्म निर्भर हो गयी। फसल कटाई के उपरान्त बायोमास अपशिष्टों का उपयोग कर पिलेट्स तथा ब्रिकेट्स बनाने की भी कई इकाईयॉ स्थापित करायी जा चुकी है। यह उत्पाद कोयले के प्रतिस्थानी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुए इसे राज्य पुरोनिधानित एम0एस0एम0इ0 योजना के रूप में संचालित किये जाने का प्रस्ताव तथा रणनीति तैयार की जा चुकी है।

2.12 उक्तानुसार समस्त कार्यक्रमों के संचालन में फेसिलिटेशन हेतु इन सबकी विस्तृत जानकारी मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रदान करने के उद्देश्य से **"जीवन शक्ति परियोजना : स्थायी स्वरोजगार का आधार"** तथा अन्य किसानोंपयोगी साहित्य का प्रकाशन किया गया तथा उसका वितरण भी किया गया। इसके सार्थक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं।

2.13 मिशन बायो एथेनाल'' के अन्तर्गत अल्टरनेट सेल्यूलोज आधारित बायोमॉस जैसे– स्वीट सोरगुम, सुगर बीट्स, कसावा के कृषिकरण का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इसके

आर्थिक पक्ष को किसानों को समझाया जा सके। इसके अतिरिक्त बायो एथेनाल उत्पादन के मल्टी फीड टेक्नालाजी की लागत प्रभावी उपलब्धता तथा इसके डेडीकेटेड सयंत्र स्थापित/क्रियान्वित किये जाने के रणनीति तैयार की गयी है, जिस पर एस0पी0वी0 बनाकर कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

2.14 उपरोक्तनुसार राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014/उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड से संबंधित समस्त पॉचों परियोजनाओं/योजनाओं को सुचारू, समयवद्ध तथा प्रभावी रूप से संचालित/क्रियान्वित करने आदि के उद्देश्य से शासनादेश सं0 40/2015/1261/35–1–2015–2/1(86)/2014 दिनांकः 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा, पूर्व में गठित **"बायो इनर्जी मिशन सेल"** को सुदृढ़ करते हुए इसके स्थान पर स्वायत्त शासी संस्था के रूप में **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड"** का गठन किया गया है। इसका पंजीयन इण्डियन सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम–1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, चिट्स फण्ड एवं फर्म, उ0प्र0 के कार्यालय में हुआ है जिसकी पंजीयन सं0 **2080**, पंजीयन दिनांक **22.12.2015** तथा पत्रावली संख्या–**I–178243** है। इसकी प्रबन्ध समिति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है;

क्र0सं0	अधिकारी	पद
1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0इ0, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9.	राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0	सदस्य संयोजक

2.15 उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को संचालित करने हेतु बोर्ड के कार्यालय मात्र के लिये सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा योजना भवन के पंचम तल के आवंटन के सापेक्ष प्रारम्भ में कक्ष सं0 534 आवण्टित करके इसके सुदृढ़ीकरण/साज–सज्जा का कार्य राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

3. बोर्ड के कार्यो को प्रारंभ करने के लिए वर्तमान में निम्नांकित न्यूनतम पदों की उपलब्धता अत्यावश्यक/अपरिहार्य है, जिस पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान करने हेतु इनके सृजन का निर्णय लिया गया :–

3.1 विभाग में बायो इनर्जी मिशन का कार्य देख रहे संयुक्त सचिव, नियोजन अनुभाग–1, जिन्हें पूर्व में स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य का व्यापक अनुभव है, को पदेन परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा संयुक्त परियोजना निदेशक/मुख्य परिचालन अधिकारी पद पर विभाग में प्रारम्भ से ही बायो इनर्जी परियोजनाओं/योजनाओं का कार्य देख

रहे राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल को पद धारक सहित, मूल पद को उच्चीकृत करते हुए बोर्ड में लिये जाने का निर्णय लिया गया। उप परियोजना निदेशक (पदों की सं0–5, वेतनमान रू0 15,000–39,600 ग्रेडपे रू0 6600/– समतुल्य मानदेय पर सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से संविदा पर), कम्प्यूटर प्रोग्रामर (पदों की सं0–02, रू0 25,000/– प्रतिमाह मानदेय पर सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संविदा पर), आशुलिपिक (पदों की सं0–02, रू0 20,000/– प्रतिमाह मानदेय पर सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संविदा पर), कार्यालय सहायक (पदों की सं0–05, रू0 20,000/– प्रतिमाह मानदेय पर सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संविदा पर), अनुसेवक (पदों की सं0–03, उचित मानदेय पर मान्य सेवा प्रदाता एजेंसी से संविदा पर) तत्काल तैनाती के निर्णय लिये गये। सेवा प्रदाता के चयन हेतु उक्त समस्त कार्यक्रमों के क्षेत्र में सेवा प्रदाता का अनुभव/उनके द्वारा संदर्भित किये गये कार्मिकों का प्रश्नगत क्षेत्र में कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी।

3.2 नयी मॉग के माध्यम से बोर्ड को वर्ष 2016–17 हेतु रू0 150.00 लाख की धनराशि की आय–व्यक में व्यवस्था करायी गयी है। जिस में से गैर वेतन में 75.00 लाख, तथा वेतन मद में रू0 75.00 लाख धनराशि प्राविधानित की गयी है, जिसकी शासन से स्वीकृति के पश्चात निम्न विवरणानुसार व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसे सुचारू रूप से प्रारम्भ होने/संचालित होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार विभाग स्तर से कम या अधिक किये जाने पर सहमति बनी :–

- वेतन तथा भत्ते : रू0 75.00 लाख
- परियोजनाओं/योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण : रू0 25.00 लाख
- परियोजनाओं /योजनाओं के क्रियान्वयन मद हेतु : रू0 50.00 लाख

3.3 बोर्ड के दैनिक क्रियाकलापो के संचालन हेतु बोर्ड के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार निम्नवत होगेः–

1. परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए व्यय करने की सीमा वही होगी जो विभागाध्यक्ष के लिये है।
2. संयुक्त परियोजना निदेशक/मुख्य परिचालन अधिकारी/राज्य समन्वयक को कार्यालय उपयोग हेतु आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए व्यय करने की सीमा वही होगी जो कार्यालयाध्यक्ष के लिये अनुमन्य है।

3.4 बोर्ड के कार्यकलापों/दैनिक कार्यकलापों के संचालन हेतु अपेक्षित अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरण एवं उनके मध्य कार्य तथा दायित्वों का सीमा का निर्धारण; राज्य जैव ऊर्जा नीति तथा इसके कियान्वयन हेतु गठित बोर्ड को आवण्टित कार्य के पॉचो घटको/परियोजनाओं/योजनाओं यथा मिशन बायोडीजल, मिशन बायो इथेनाल, मिशन बायो गैस, मिशन प्रोड्यूसर गैस तथा औषधीय एवं सगंध पौध रोपण, विधायन एवं विपणन कार्यक्रम के लिये एक–एक अधिकारी (श्रेणी दो), उसके साथ एक सहायक एक कम्प्यूटर आपरेटर/स्टेनो तथा अनुसेवक की व्यवस्था एवं इन स्टाफ की कार्यालय कार्य निस्तारण/बैठने हेतु एक कक्ष की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.5 उक्तानुसार ही उक्त पॉचो कार्यक्रमों के अतिरिक्त वित्त लेखा कार्यो तथा सूचना अधिकार एवं न्यायिक प्रक्रिया के लिये एक–एक अधिकारी (श्रेणी दो), तथा उक्तानुसार सहयोगी स्टाफ तथा उनके कार्यालय कक्ष की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.6 वित्त एवं लेखा अनुभाग, विभाग में तैनात वित्तनियंत्रक के अधीन/मार्ग दर्शन में कार्य करेगा तथा न्यायिक अनुभाग के कार्यो को सुचारू रूप से निर्वहन हेतु एक निश्चित दर/मानदेय पर प्राइवेट/निजी वकील की उपलब्धता/तैनाती किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.7 उक्त के अतिरिक्त परियोजना निदेशक तथा संयुक्त परियोजना निदेशक/राज्य समन्वयक का निजी स्टाफ तथा फोन की व्यवस्था/फोन की मासिक दर (कार्यालय हेतु वास्तविक व्यय के आधार पर तथा निवास हेतु रू0 1000 प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय) एवं मोबाइल की व्यवस्था सीमा रू0 2000 प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया तथा कार्यालय/अनुभागों को भी इन्टरकाम की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.8 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त परियोजना निदेशक/राज्य समन्वयक को स्वतंत्र वाहन की व्यवस्था मान्य ट्रेवल एजेन्सी के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय प्रकरणों को वित्त एवं लेखा अनुभाग द्वारा वित्त नियंत्रक के माध्यम से संयुक्त परियोजना निदेशक/परियोजना निदेशक को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.9 न्यायिक प्रकरण नामित वकील से परामर्श प्राप्त कर संयुक्त परियोजना निदेशक/परियोजना निदेशक को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.10 परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु समस्त कार्यवाही संयुक्त परियोजना निदेशक/मुख्य परिचालन अधिकारी/राज्य समन्वयक द्वारा सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.11 बोर्ड का बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में;

कार्य की आवश्यकता/प्रकृति/संविधान की व्यवस्था के दृष्टिगत राष्ट्रीकृत बैंक में बोर्ड के बचत खाता/खाते खोल कर बोर्ड की नियमावली में वर्णित व्यवस्था के क्रम में खाते का संचालन वित्त नियंत्रक तथा राज्य समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.12 बोर्ड की परियोजनाओं/योजनाओं का विभिन्न सूचना माध्यमों/संचार माध्यमों/प्रशिक्षको के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना तथा प्रशिक्षण किये जाने के संबंध में एवं प्रर्दशनी/प्रर्दशन क्षेत्रों की स्थापना के संबंध में;

3.13 प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु अब तक बायो इनर्जी मिशन सेल द्वारा बनाये गये साहित्य का उपयोग करते हुए एवं इसमें सामयिक आवश्यकतानुसार विभाग स्तर (प्रमुख सचिव नियोजन स्तर) से संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करते हुए कार्यक्रमों से जुड़े प्रशिक्षकों/स्वरोजगारी युवाओं/इच्छुक कृषकों को उपलब्ध कराते हुए उन्हे विषयगत जानकारी दी जानी है। इस निमित निम्न विवरणानुसार भी प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया;

पॉचो परियोजनाओं/योजनाओं हेतु पॉच मास्टर ट्रेनर बोर्ड द्वारा तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया। मास्टर ट्रेनर उपलब्ध प्रशिक्षण साहित्य के माध्यम से प्रशिक्षको/ट्रेनर को प्रशिक्षण देगे। मंडल स्तर पर प्रशिक्षको की संख्या–1 (आवश्यकतानुसार अधिकतम –2) निर्धारित की गयी।

उक्त प्रशिक्षकों के द्वारा अपने–अपने क्षेत्र के अन्तर्गत इच्छुक कृषकों/ स्वरोजगारोन्मुखी युवाओं तथा जन सामान्य को प्रशिक्षण दिया जायगा। योजना से सम्बन्धित समस्त कार्य इन्हीं प्रशिक्षकों द्वारा **"वैल्यू चेन मेकेनिज्म"** के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.14 माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में संदेश विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों यथा रेडियो, टी0वी0, वृतचित्र तथा प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से योजनाओं की उपयोगिता/उपादेयता तथा प्रर्यावरण प्रिय लाभ परक स्थिति को उजागर करते हुए सघन रूप से जनमानस तक पहुंचाना एवं अभिप्रेरित करना। इसी क्रम में **"चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में"** योजना क्षेत्र के सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर तक समस्त परियोजनाओं पर परिचर्चा किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें विभागीय प्रशिक्षकों का भी योगदान रहेगा।

प्रशिक्षण अवधि में मास्टर ट्रेनर को प्रतिदिन रू0 1500 तथा ट्रेनर को रू0 1000 प्रति कार्य दिवस (जिसे आवश्यकतानुसार विभाग स्तर से कम/अधिक किया जा सकता है) का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को बजट उपलब्ध होने पर चाय/स्वल्पाहार (यथा स्थिति) की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया।

3.15 बोर्ड के कार्यक्रम/कार्यो के विकास एवं परिवर्धन को देखते हुए यथा आवश्यकता जनपद/मण्डल स्तर पर **"जैव ऊर्जा विकास केन्द्रों"** की स्थापना/एस0पी0वी0 (स्पेशल परपज व्हीकल) गठन के सम्बन्ध में;

बोर्ड के समस्त कार्यक्रमों को उद्यमिता मोड में बैक इण्डेंड क्रेडिट लिंक सब्सिडी के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर "जैव ऊर्जा विकास केन्द्रो" की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु परियोजना विशेष हेतु अलग–अलग एस0पी0वी0 बनाकर कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे जहॉ एक ओर न्यूनतम शासकीय निवेश से जैव ऊर्जा परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन की लाभ परक एवं व्यापारिक/उद्यमिता का स्थायी विकास होगा वही क्षेत्रीय स्तर पर किसानों को अपनी मार्जिनल भूमि/कम उपजाऊ भूमि पर जैव ऊर्जा परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन से नियमित रूप से सुनिश्चित आय प्राप्त होगी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा/अभिवृद्धि होगी। इन कार्यक्रम हेतु उ0प्र0 शासन के विभिन्न विकास विभागों द्वारा पूर्व से संचालित योजनाओं से कनर्वजेन्स/भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का सहयोग/राज्य उद्योग नीति का सहयोग प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों/शोध संस्थानों का सहयोग प्राप्त कर जैव ऊर्जा विकास हेतु शोध, विकास एवं प्रयोग तथा विस्तार कार्यक्रमों का भी संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ने जैव ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित शोध एवं विकास कार्यो हेतु उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद से वित्तीय सहायता देने पर विचारोपरांत मत स्थिर किया गया। साथ ही सदस्य संयोजक को निर्देशित किया कि इस हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर/शोध संस्थानों द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उठाये गये इस बिन्दु के क्रम में सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण विज्ञान विभाग, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ एस0टी0पी0 पान्ड के गन्दें पानी में एल्गी उत्पादन कर बायोडीजल बनाये जाने का प्रयोगशाला स्तर का कार्य किया जा चुका है जिसका क्षेत्र परीक्षण किया जाना है। सदस्य संयोजक के इस प्रस्ताव

के क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

3.16 परियोजनाओं/योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एन0आई0सी0 के सहयोग से पूर्व में निर्मित Website : http://jetropha.up.nic.in को बोर्ड की वेबसाइट के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया। वेबसाइट को मासिक आधार/यथा आवश्यकता अपडेट रखने के भी निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही इसका लोगो तैयार करने तदोपरान्त लोगो सहित पत्रव्यवहार हेतु लेटर हेड छपवाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जैव ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में गठित समितियों/उपसमितियों का पुर्नगठन विभाग (प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग के) स्तर से ही करने का निर्णय लिया गया।

4.0 सदस्य संयोजक ने अवगत कराया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रदेश की जैव ऊर्जा विकास की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की मॉग की गयी है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि विभाग स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर संबंधित मंत्रालय को भेजे जाने/उसके अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिये गये। मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव के सापेक्ष प्राप्त धनराशि का परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया।

4.1 सदस्य संयोजक ने अवगत कराया कि इन्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डेवलपमेण्ट द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास हेतु संचालित प्रत्यक्ष कृषक/ग्रामीण सहभागिता के **''वैल्यू चेन मैकनिज्म''** आधारित **पी0–4 (पब्लिक–प्राइवेट–पंचायत– पार्टनरशिप)** माडल को देखते हुये काफी सराहा गया है तथा हाल ही में वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक में कार्यक्रम के संक्षिप्त विवरण सहित आमंत्रित भी किया गया था। तत्समय इस सम्बन्ध में बोर्ड की सहमति के उपरान्त ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय को अवगत करा दिया गया था। इस पर सहमति व्यक्त करते हुये वांछित प्रस्ताव तथा इस हेतु प्राप्त धनराशि को परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया।

4.2 प्रदेश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं/योजनाओं के विकास/संचालन हेतु विभागीय स्तर पर कार्यक्रम से जुड़े भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा अन्तराष्ट्रीय संगठनों से ग्रीन फण्ड प्राप्त करने/विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं/राज्य सरकार से धनराशि/अनुदान प्राप्त करने तदोपरान्त संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि को संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया।

5.0 सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि ''आई–स्पर्श स्मार्ट विलेज परियोजना'' के अन्तर्गत Climate Resilient कृषि कार्य हेतु सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जैव ऊर्जा पौध (नीम,महुआ,करंज,सीमारूबा तथा जेट्रोफा) वृक्षारोपण की अन्तः कृषि/सघन कृषि कार्य हेतु **वैल्यू चेन मैकनिज्म** के अन्तर्गत लेमनग्रास, पामारोजा, तुलसी, अश्वगंधा, मुश्कदाना, कौंच, किनोवा, चिया का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के तराई तथा पूर्वांचल जल प्लावित क्षेत्रों में उक्त फसलों/पौधों के साथ–साथ बीमा–बम्बों के रोपण का भी प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु यूपीडास्प के साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये 80 युवाओं का प्रशिक्षण भी दिनांक 07.05.2016 को कराया जा चुका है। भविष्य में अन्य प्रगतिशील

किसानों/जागरूक युवाओं को भी यह प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। भविष्य में उक्त प्रशिक्षित प्रगतिशील किसानों/जागरूक युवाओं से यूपीडास्प के एक्सटेंशन वर्कर के रूप मे भी कार्य लिया जायेगा। समस्त कार्य क्लस्टर आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया ताकि संबंधित उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा उसके विपणन कार्यक्रम को सरलता पूर्ण किया जा सके तथा सम्बन्धित लाभार्थियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इस कार्य हेतु उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना तथा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड आपस में सहमति के आधार पर इस कार्यकम को संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। आम सहमति के आधार पर उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से प्रशिक्षित युवाओं को **"कृषक–उद्यम सहायक"** के नाम से प्रसारित करते हुए जैव ऊर्जा परियोजनाओं/आई स्पर्श स्मार्ट विलेज परियोजना का कियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना तथा बोर्ड के बीच में एक एम0ओ0यू0 भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

5.1 सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में नीति बनाते समय चीनी की खपत को देखते हुए गन्ने को ''मिशन बायो एथेनाल'' से अलग रखा गया था। किन्तु गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 की पहल पर पेट्रोल में ब्लेण्ड करने योग्य बायो एथेनाल की वर्तमान मांग तथा आपूर्ति के अन्तर को देखते हुए बोर्ड द्वारा "INTEGRATED SUGAR COMPLEX" पर वैल्यू चेन मेकेनिज्म के अन्तर्गत एस0पी0वी बनाकर पी0–4 माडल में कार्य किये जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में विशेषज्ञ संस्थाओं यथा नेशनल सुगर इन्स्टीटयूट कानपुर अथवा प्राइवेट/पब्लिक सेक्टर की अग्रणी कम्पनियों के सहयोग से इसकी फिजबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त विभाग स्तर से इस पर कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट स्पेसीफिक एस0पी0वी बनाने का भी निर्णय लिया गया।

5.2 सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में ठोस नगरीय कूड़े के सुरक्षित वैज्ञानिक डिस्पोजल की पूर्व में स्थापित अधिकांश इकाईयॉ या तो बन्द हो गयी हैं या अलाभकर स्थिति में हैं। बन्द इकाईयों को पुर्नजीवित कर बायो सी0एन0जी0 संयंत्र स्थापित करने अथवा आवश्यकतानुसार सिन–गैस आधारित ग्रिड कनेक्टेड विद्युत सयंत्रों की स्थापना वैल्यू चेन मैकनिज्म के अन्तर्गत एस0पी0वी0 के माध्यम किये जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में विशेषज्ञ संस्थाओं /प्राइवेट सेक्टर/पब्लिक सेक्टर की अग्रणी कम्पनियों के सहयोग से इसकी फिजबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त विभाग द्वारा नगर विकास विभाग से समन्वय कर इस पर कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट स्पेसीफिक एस0पी0वी बनाने का भी निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा बोर्ड के समस्त पदाधिकारियों/सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए सभा की कार्यवाही समाप्त की गई।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
नियोजन विभाग, उ0प्र0,
योजना भवन, लखनऊ।
संख्या : 20/05/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2016
लखनऊः दिनॉक 02 जून, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0/अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त/उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को मा0 उपाध्यक्ष के अवगतार्थ/अवलोकनार्थ।
3– सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5– सचिव, भूमि एवं जल संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7– सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8– सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9– सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10– सचिव, ग्रामोद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11– सचिव, वित्त मंत्रालय, (आर्थिक मामलें) मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य
13– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
14– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
15– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
16– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
17 प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन/सदस्य।
18– सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
19– विशेष आमंत्री अधिकारीगण।
20– नियोजन अनुभाग–1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5/वित्त लेखा अनुभाग–1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग–1।
21– गार्ड फाइल।

02/06/16
(पी0 एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक।
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।